डीजी-परिपत्र संख्या-29/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक: लखनऊ: सितम्बर 3, 2020

विषयः- विवेचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि दोषपूर्ण विवेचना होने से जहाँ अभियुक्तों को इसका लाभ मिलता है वहीं पुलिस विभाग के प्रति प्रतिकूल धारणा बनती है अतः आप सभी का यह दायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक मामलों विशेष रूप से जघन्य अपराधों की विवेचना का स्तर उच्च कोटि का हो, जिससे अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिल सके।

विवेचकों की मनमानी रोकने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित तथा प्रभावी हस्तक्षेप कर पाने के लिए नियमों व आदेशों की कमी नही है। इसके लिए पहले से ही बहुत उपयोगी नियम व परम्परायें प्रचलित हैं यथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अपराध रजिस्टर अथवा एस0आर0 पत्रावली में केस डायरी का सार अपने हस्तलेख में अंकित करना, पर्यवेक्षण अधिकारी से भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आदि। समस्या यह है कि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा इन्न नियमों एवं परम्पराओं का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है। साथ ही अपराध रजिस्टर अथवा एस0आर0 पत्रावली पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा विवेचना की दिशा-निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई सार्थक तथा स्पष्ट निर्देश अंकित नहीं किये जा रहे हैं।

द0प्र0सं0 1973 की धारा 158 के प्राविधानों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा केस डायरी का अनुश्रवण किया जाता है। यदि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा कोई बयान अथवा साक्ष्य अप्रसांगिक पाया जाता है अथवा किसी अतिरिक्त बयान अथवा साक्ष्य को विवेचना के हित में आवश्यक पाया जाता है तो तदनुसार अपराध रजिस्टर में कारण सहित अपना पर्यवेक्षण अंकित करते हुये विवेचक को स्पष्ट निर्देश भेज सकता है। पर्यवेक्षण अधिकारी के किसी भी वैध आदेश का विवेचना के दौरान विचार किया जाना विवेचक के लिए अनिवार्य होता है।

पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से लगातार विवेचना के सम्बन्ध में अत्यन्त सार्थक दिशा-निर्देश निर्गत होते रहे हैं और द0प्र0स0 एवं पुलिस रेगुलेशन में भी विस्तार से सारी प्रक्रिया अंकित की गयी है। जब तक इन कानूनों, नियमों तथा निर्देशों का अनुपालन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नही कराया जायेगा तब तक विवेचना की गुणवत्ता में सुधार नही आ पायेगा।

यदि विवेचक द्वारा उन निर्देशों का अनुपालन नही किया जाता है अथवा अनुपालन न करने का समुचित कारण नही प्रस्तुत किया जाता है तो पर्यवेक्षण अधिकारियों को विवेचक के विरूद्ध कार्यवाही

Scanned by CamScanner

करने एवं उसकी सत्यनिष्ठा रोकने तथा विवेचना किसी अन्य विवेचक को सुपुर्द करने का पूर्ण अधिकार है।

स्थिति यहाँ तक चिन्ताजनक हो गयी है कि विवेचना का पर्यवेक्षण केवल लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण किये जाने का निर्देश देने तक सीमित होकर रह गया है। उसकी गुणवत्ता तथा निष्पक्षता को मूल्यांकन करके निर्देश अंकित करना और उनका अनुश्रवण करना यह वरिष्ठ अधिकारियों की प्राथमिकताओं में या तो है ही नही अथवा बहुत सतही है। जबकि विवेचना की गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा बिना अनावश्यक विलम्ब के निस्तारण करके मुकदमें को न्यायालय तक पहुचाने का कार्य विवेचकों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होना चाहिए।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि पर्यवेक्षण अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकारीगण अपने प्रशिक्षण, अनुभव तथा कानूनी जानकारी का उपयोग करते हुए विवेचनाओं की गुणवत्ता के स्तर में सुधार हेतु प्रभावी तथा सार्थक हस्तक्षेप करेगें। निष्पक्ष व गुणवत्तापरक विवेचना सुनिश्चित करना और विवेचनाओं का तत्परता से निस्तारण करके यथा समय मामलें को न्यायालय तक पहुँचाने का कार्य, पुलिस अधिकारी के रूप में हम सभी का परम कर्तव्य है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें।

सद्भावनाओं सहित

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner